

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

सत्यमेव जयते

दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-19042024-253750
SG-DL-E-19042024-253750असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 122]	दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 15, 2024/चैत्र 26, 1946	[रा.रा.क्षे.दि. सं. 18
No. 122]	DELHI, MONDAY, APRIL 15, 2024/CHAITRA 26, 1946	[N. C. T. D. No. 18

भाग IV
PART IVराष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 15 अप्रैल, 2024

फा. सं. 50(8)/डीसी/स्था./2023/DS/HFW/03—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 24.09.1968 की अधिसूचना संख्या एस.ओ. 3532 के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस सरकार की दिनांक 29.01.2001 की अधिसूचना संख्या फा. 53/144/94—स्वा. एवं परि. कल्या./4070 के अधिक्रमण में, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई या विलोप की जाने वाली बातों को छोड़कर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल संघ लोक सेवा आयोग के पूर्व परामर्श से, एतद् द्वारा औषधि नियंत्रण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक (फार्माकोलॉजी) के पद की भर्ती पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

- संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ :- (i) इन नियमों को औषधि नियंत्रण विभाग, वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक (फार्माकोलॉजी) भर्ती नियमावली, 2024 कहा जाए।

(ii) ये आधिकारिक राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर :-** उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में विनिर्दिष्ट होंगे।
3. **भर्ती पद्धति, आयु-सीमा, योग्यताएं इत्यादि :-** उक्त पदों की भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यताएं एवं इससे संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।
4. **अयोग्यता :-** वह व्यक्ति,
 - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; अथवा
 - (ख) जो एक जीवित पति/पत्नी के होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह कर चुका है या विवाह की संविदा कर चुका है, वह उक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

शर्त यह है कि यदि सरकार संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति एवं विवाह के अन्य पक्ष पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत है और ऐसा करने के लिये अन्य आधार हैं, तो वह किसी ऐसे व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन की छूट दे सकती है।
5. **शिथिल करने की शक्ति :-** जहां सरकार का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो वह कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए तथा संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा व्यक्तियों के किसी वर्ग या श्रेणी के संबंध में इन नियमों के उपबंधों को छूट दे सकती है।
6. **बचाव :-** इन नियमों में केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों, भूतपूर्व सैनिक तथा अन्य विशेष वर्ग के व्यक्तियों के लिये उपबंधित किए जाने वाले अपेक्षित आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुसूची

औषधि नियंत्रण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक (फार्माकोलॉजी) के पद हेतु भर्ती नियम

1.	पदनाम	:	वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक (फार्माकोलॉजी)
2.	पदों की संख्या	:	02 (2024) *इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर।
3.	वर्गीकरण	:	सामान्य केन्द्रीय सेवा, अलिपिकीय, अराजपत्रित, समूह-ख
4.	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	:	6 अभ्युक्ति : वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (रुपये 35400-112400/-)
5.	क्या चयन पद है अथवा गैर-चयन पद	:	लागू नहीं
6.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा	:	30 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्र सरकार द्वारा जारी अनुदेशों अथवा आदेशों के अनुसरण में सरकारी कर्मचारियों के लिए 5 वर्ष तक शिथिलनीय।) 6 (क) महत्वपूर्ण विवरण : आयु सीमा निर्धारण हेतु निर्णायक तिथि सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथाविज्ञापित होगी।
7.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक	:	अनिवार्य

	तथा अन्य योग्यता	<p>योग्यता :</p> <p>(क) (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से फार्माकोलॉजी/शरीर विज्ञान/प्राणी विज्ञान/फार्मेसी में स्नातकोत्तर उपाधि;</p> <p>(ii) किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से औषधि के फार्माकोलॉजीकल परीक्षण के क्षेत्र में एक वर्ष का अनुभव।</p> <p>अथवा</p> <p>(ख) (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से फार्मेसी में स्नातक उपाधि अथवा किसी एक विषय के रूप में रसायन विज्ञान या वनस्पति विज्ञान या प्राणी विज्ञान के साथ विज्ञान में स्नातक उपाधि;</p> <p>(ii) किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से औषधि के फार्माकोलॉजीकल परीक्षण के क्षेत्र में 3 वर्ष का अनुभव।</p>	अनुभव :
		वांछनीय	
		<p>योग्यता :</p> <p>लागू नहीं</p>	<p>अनुभव :</p> <p>लागू नहीं</p>
		<p>योग्यता संबंधी मानक टीप :</p> <p>अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में, योग्यताएं कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए, कर्मचारी चयन आयोग/सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर शिथिलनीय हैं।</p>	<p>अनुभव संबंधी मानक टीप :</p> <p>यदि चयन की किसी अवस्था में कर्मचारी चयन आयोग/सक्षम प्राधिकारी के अभिमत से अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने हेतु, अपेक्षित अनुभव रखने वाले इन समुदायों से उम्मीदवारों के पर्याप्त संख्या में मिलने की संभावना नहीं है, तो अनुभव संबंधी योग्यता (योग्यताएँ) कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए कर्मचारी चयन आयोग/सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर शिथिलनीय है।</p>
8.	क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं आयु सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी।	:	<p>आयु : लागू नहीं</p> <p>शैक्षिक योग्यता : लागू नहीं</p>
9.	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई है	:	<p>02</p> <p>अभ्युक्ति :</p>

			टीप : सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथा निर्धारित परीक्षा के सफलतापूर्वक पूर्ण होने के लिए कम-से-कम 02 सप्ताह की अवधि का प्रेरण प्रशिक्षण अनिवार्य होगा।				
10.	भर्ती की पद्धति, सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/समावेशन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत	:	<table><tr><th>पद्धति</th><th>प्रतिशत</th></tr><tr><td>सीधी भर्ती टीप : पदधारी के प्रतिनियुक्ति पर चले जाने या दीर्घकालिक रुग्णता या अध्ययन अवकाश या अन्य परिस्थितियों के कारण एक वर्ष की अवधि या अधिक अवधि के लिए हुई रिक्तियां केन्द्र सरकार के अधिकारियों से प्रतिनियुक्ति आधार पर भरी जा सकेगी— (क) (i) नियमित आधार पर समरूप पदधारण करने वाले; अथवा (ii) वेतन मैट्रिक्स के स्तर-5 में 06 वर्षों की नियमित सेवा सहित; तथा (ख) कॉलम 7 के अन्तर्गत सीधी भर्ती हेतु निर्धारित योग्यताएं एवं अनुभव रखने वाले।</td><td>100 प्रतिशत</td></tr></table>	पद्धति	प्रतिशत	सीधी भर्ती टीप : पदधारी के प्रतिनियुक्ति पर चले जाने या दीर्घकालिक रुग्णता या अध्ययन अवकाश या अन्य परिस्थितियों के कारण एक वर्ष की अवधि या अधिक अवधि के लिए हुई रिक्तियां केन्द्र सरकार के अधिकारियों से प्रतिनियुक्ति आधार पर भरी जा सकेगी— (क) (i) नियमित आधार पर समरूप पदधारण करने वाले; अथवा (ii) वेतन मैट्रिक्स के स्तर-5 में 06 वर्षों की नियमित सेवा सहित; तथा (ख) कॉलम 7 के अन्तर्गत सीधी भर्ती हेतु निर्धारित योग्यताएं एवं अनुभव रखने वाले।	100 प्रतिशत
पद्धति	प्रतिशत						
सीधी भर्ती टीप : पदधारी के प्रतिनियुक्ति पर चले जाने या दीर्घकालिक रुग्णता या अध्ययन अवकाश या अन्य परिस्थितियों के कारण एक वर्ष की अवधि या अधिक अवधि के लिए हुई रिक्तियां केन्द्र सरकार के अधिकारियों से प्रतिनियुक्ति आधार पर भरी जा सकेगी— (क) (i) नियमित आधार पर समरूप पदधारण करने वाले; अथवा (ii) वेतन मैट्रिक्स के स्तर-5 में 06 वर्षों की नियमित सेवा सहित; तथा (ख) कॉलम 7 के अन्तर्गत सीधी भर्ती हेतु निर्धारित योग्यताएं एवं अनुभव रखने वाले।	100 प्रतिशत						
11.	यदि पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/समावेशन द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/समावेशन किया जाना है।	:	लागू नहीं मानक टीप : लागू नहीं				
12.	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो, तो इसकी संरचना क्या है?	:	<table><tr><th>विभागीय पदोन्नति समिति</th><th>विभागीय स्थायीकरण समिति</th></tr><tr><td>लागू नहीं</td><td>1. अपर मुख्य सचिव (गृह)/प्रधान सचिव (गृह) — अध्यक्ष 2. विभाग के प्रशासनिक सचिव — सदस्य 3. विशेष/अपर सचिव (शह0वि0) — सदस्य</td></tr></table>	विभागीय पदोन्नति समिति	विभागीय स्थायीकरण समिति	लागू नहीं	1. अपर मुख्य सचिव (गृह)/प्रधान सचिव (गृह) — अध्यक्ष 2. विभाग के प्रशासनिक सचिव — सदस्य 3. विशेष/अपर सचिव (शह0वि0) — सदस्य
विभागीय पदोन्नति समिति	विभागीय स्थायीकरण समिति						
लागू नहीं	1. अपर मुख्य सचिव (गृह)/प्रधान सचिव (गृह) — अध्यक्ष 2. विभाग के प्रशासनिक सचिव — सदस्य 3. विशेष/अपर सचिव (शह0वि0) — सदस्य						

13.	वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।	:	संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना आवश्यक नहीं है।
-----	--	---	--

दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
अरविंद कुमार, उप-सचिव (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण)

HEALTH AND FAMILY WELFARE DEPTT.

NOTIFICATION

Delhi, the 15th April, 2024

F. No. 50(8)/DC/Estt./2023/DS/HFW/03—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the constitution read with Government of India, Ministry of Home Affairs Notification No. S.O. 3532 dated 24.09.1968 and in supersession of this Government's Notification No. F. 53/144/94-H&FW/4070 dated 29.01.2001, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, after prior consultation with Union Public Service Commission, hereby makes following rules regulating the method of recruitment to the post of Senior Scientific Assistant (Pharmacology) in the Drugs Control Department, Government of National Capital Territory of Delhi as following, namely:

1. Short title and commencement-

(i) These rules may be called the Drugs Control Department, Senior Scientific Assistant (Pharmacology) Recruitment Rules, 2024

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, Classification and Pay Level in Pay Matrix- The number of the said post, its classification and level in the pay matrix shall be specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.- The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule aforesaid.

4. Disqualification-No person,

- (a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; **or**
 - (b) Who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,
- Shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to Relax- Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving- Nothing in these rules, shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

**Recruitment Rules for the post of Senior Scientific Assistant (Pharmacology) in the Drugs Control Department,
Government of National Capital Territory of Delhi**

Name of Post	Number of Posts	Classification		Pay Level in the Pay Matrix	Whether Selection Post/Non-Selection Post	Age limit for direct recruits
1	2	3		4	5	6
Senior Scientific Assistant (Pharmacology)	02 (2024) *Subject to variation dependent on work load	General Central Service Non Ministerial Non-Gazetted Group, B		6 Remark: Level 6 (Rs. 35400-112400) in the Pay Matrix	Not applicable	Not exceeding 30 years (Relaxable for Government servants upto 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government) 6(a) Crucial description: The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Competent Authority

Educational and other Qualification required for Direct Recruits		Whether age & Educational Qualifications prescribed for direct recruitment will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of Recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption & percentage of the posts to be filled by various methods	
7		8	9	10	
Essential		Age: NA Edu. Qual: NA	02	Method	Percentage
Qualification: (A)(i) Post Graduate Degree in Pharmacology/ Physiology/ Zoology/ Pharmacy from a Recognized University or Institute; (ii) One Year Experience in the field of Pharmacological testing of Drugs from a recognised Institution	Experience:		Remark: Note: There shall be a mandatory induction training of at least two weeks duration for successful completion of the probation as prescribed by the Competent Authority	Direct recruitment Note: Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of Central Government. (a) (i) holding analogous posts on regular	100%

<p>OR (B)(i) Bachelor Degree in Pharmacy or Bachelor Degree in Science with Chemistry or Botany or Zoology as one of the subjects from a Recognized University or Institute;</p> <p>(ii) Three years Experience in the field of Pharmacological testing of Drugs from a recognised Institution</p>				<p>basis; or (ii) with 06 years regular service in posts in Level 5 of the pay matrix; and (b) possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits under Col. 7.</p>	
Desirable					
Qualification: NA	Experience: NA				
<p>Qualification Standard Note</p> <p>Qualifications are relaxable at the discretion of the S.S.C./ Competent Authority, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified</p>	<p>Experience Standard Note</p> <p>The qualification(s) regarding experience is/ are relaxable at the discretion of the S.S.C./ Competent Authority, for reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection the S.S.C./ Competent Authority, is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them</p>				

In case of Recruitment by Promotion/Deputation/Absorption grades from which Promotion/Deputation/Absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition		Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment
11	12		13
Not Applicable Standard Note: NA	<u>Departmental Promotion Committee</u> NA	<u>Departmental Confirmation Committee</u> 1. Addl Chief Secretary (Home) / Pr. Secretary (Home) (Chairman) 2. Administrative Secretary of the Department (Member) 3. Special/ Addl Secretary (UD) (Member)	Consultation with UPSC is not necessary

By order and in the name of
the Lt. Governor, Delhi
ARVIND KUMAR, Dy. Secry. (H&FW)